संपादकीय जागरण

मंगलवार, 24 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 12 वि. 2075

निरंतर प्रयास से ही क्षमता निखरती है

राफेल सौदे पर रार

फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को कांग्रेस ने जिस तरह एक बार फिर तूल दिया उससे यही ध्वनित हो रहा है कि उसने इस रक्षा सौदे को संदिग्ध करार देने की ठान ली है। हैरत नहीं कि वह इस सौदे में कथित गड़बड़ी को चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में हो। यह अजीब है कि जहां भाजपा राफेल सौदे पर राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को गुमराह करने वाला बताकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने को कह रही है वहीं कांग्रेस भी रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री पर इसी तरह का आरोप जड़कर उनके खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह जितना विचित्र है उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण भी, क्योंकि इससे कोई भी अनजान नहीं हो सकता कि भारतीय वायुसेना को सक्षम लड़ाकू विमानों से लैस करने की सख्त जरूरत है। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि सस्ती राजनीति इस जरूरत की पूर्ति में बाधा बने। कायदे से रक्षा खरीद को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन अपने देश में इसके उलट ही अधिक होता है। राफेल सौदे को लेकर जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम जनता के लिए यह जानना कठिन है कि किसकी बात कितनी सही है? इस सौदे में गोपनीयता के प्रावधान के चलते सरकार सब कुछ सार्वजनिक भी नहीं कर सकती, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि इस मामले में कांग्रेस को उसे कठघरे में खड़े करने का मौका रक्षामंत्री के उस बयान से ही मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राफेल की रकम का विवरण देंगी। बाद में उन्होंने गोपनीयता के प्रावधान का जिक्र करके ऐसा करने से इन्कार कर दिया। कांग्रेस की मानें तो इस सौदे में गोपनीयता के प्रावधान का दावा गलत है, लेकिन उसके दावे को भारत सरकार ही नहीं, फ्रांस सरकार भी खारिज कर रही है। फ्रांस सरकार का तो यहां तक कहना है कि गोपनीयता का प्रावधान उसी समय से है जब 2008 में मनमोहन सरकार के समय राफेल विमानों की खरीद तय की गई थी।

यह सही है कि संवेदनशील रक्षा सौदों में सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और आम तौर पर लड़ाकू विमानों की कीमत इसलिए नहीं बताई जाती, क्योंकि ऐसा करने से विशेषज्ञों को यह अंदाजा लगाने में आसानी होती है कि उसमें क्या खासियत होगी? चूंकि आजकल लड़ाकू विमानों की एक खासियत उनका परमाणु हथियार ले जाने में समर्थन होना भी होता है इसलिए यह मांग ठीक नहीं कि सरकार राफेल सौदे को उजागर करे, लेकिन इस सौदे की कीमत संबंधी विवरण इस शर्त के साथ विभिन्न दलों के सांसदों वाली किसी विशेष समिति के संज्ञान में लाया जा सकता है कि उसे एक निश्चित समय तक सार्वजनिक न किया जाए। रक्षा सौदों में गोपनीयता के प्रावधानों से इन्कार नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि आज के युग में युद्धक सामग्री की गोपनीयता कुछ ही समय तक बनाए रखी जा सकती है। बेहतर हो कि सरकार ऐसे किसी उपाय पर विचार करे ताकि राफेल सौदे पर संशय का माहौल बनाने की कोशिश सफल न होने पाए। अगर यह कोशिश सफल हुई तो नुकसान उसके ही खाते में जाएगा।

गैर पेशेवर नौकरशाही

मुख्यमंत्री की यह घोषणा कि वह नौकरशाही की शिथिलता तोड़ने के लिए कभी भी, कहीं भी छापेमारी करेंगे, राजनीतिक नजरिये से मोहक हो सकती है, पर पेशेवर कार्यप्रणाली की कसौटी पर इस परिस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक ही माना जाएगा। विडंबना है कि देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके दायित्व याद दिलाने, उनकी सुस्ती खत्म करने और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री को जिलों में छापे मारने पड़ रहे हैं। मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भी अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में यही करते रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी छापे डालने की जरूरत महसूस हो रही है तो इसका अर्थ है कि पिछले मुख्यमंत्रियों की कवायद नौकरशाही की जड़ता और गैर जवाबदेही खत्म करने में विफल हुई।

जब तक प्रशासनिक सेवाओं में परफॉरमेंस की पेशेवर कार्यप्रणाली को बढ़ावा नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्रियों को छापेमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी

फर्रुखाबाद की समीक्षा बैठक का उदाहरण ताजा है जहां मुख्यमंत्री को सख्त तेवर और शब्द इस्तेमाल करने पड़े। दरअसल, नौकरशाही की परफॉरमेंस के मूल्यांकन, जवाबदेही निर्धारित करने और मेरिट के आधार पर तैनाती, प्रोन्नति एवं वेतन वृद्धि की प्रणाली कभी स्थापित ही नहीं की गई। इसके चलते नौकरशाही जिम्मेदारी और जवाबदेही से दूर हटती चली गई। वक्त की मांग है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए पारदर्शी एप्रेजल प्रणाली विकसित की जाए और इसके निष्कर्षों के आधार पर ही अधिकारियों को सेवा लाभ दिए जाएं। विशेषज्ञों के जरिए वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारियों को पेशेवर कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के छापे तात्कालिक उपचार हो सकते हैं, समस्याओं का वास्तविक इलाज तो नौकरशाही की सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव से ही है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मांग में कमी से जूझ रहे उद्योगों को जीएसटी दरें घटने से राहत मिलेगी?

आज का सवाल
क्या बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन से और बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

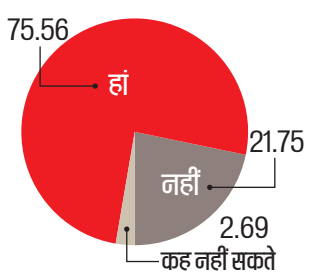

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अनैतिकता की महामारी रोकने का समय

कैलाश सत्यार्थी

ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के शिकार मासूम चेहरे उम्मीद भरी निगाहों से नए प्रस्तावित कानून की तरफ देख रहे हैं। यह उनकी सिसकियों को मुस्कराहट में बदल सकता है

संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे कुछ ही अवसर आते हैं जब सदियों पुरानी सामाजिक-सांस्कृतिक विसंगतियों से पनपे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कानून पारित किए जाते हैं। संसद के इस मानसून सत्र में ऐसा ही अवसर आया है। गुलामी का एक घिनौना रूप मानव व्यापार यानी ह्युमन ट्रैफिकिंग हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैला हुआ है। इसे खत्म करने के लिए पहली बार संसद में एक विधेयक 'ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबीलिटेशन) बिल 2018' पेश हुआ है। पूरे राष्ट्र को रोजाना शर्मिंदगी से भर देने वाली बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण की वीभत्स घटनाओं ने अब 'अनैतिकता की महामारी' का रूप ले लिया है।

कुछ दिन पहले बच्चों के यौन शोषण और दुष्कर्म के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करते हुए जो अध्यादेश लाया गया था उसे भी कानून में बदलने का एक विधेयक 'क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018' लाया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रति आठ मिनट पर एक बच्ची गुम होती है। इसी तरह हर घंटे करीब आठ बच्चे मां के आंचल से बिछड़ जाते हैं। ये बच्चे ह्युमन ट्रैफिकिंग के शिकार होकर बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदे-बेचे जाते हैं। इनका बचपन छिन जाता है और वे भय और हिंसा के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं भारत में हर घंटे कहीं न कहीं दो बच्चे दुष्कर्म के शिकार होते हैं। दुष्कर्मी इन बच्चों के कोमल शरीर को ही नहीं, उनकी आत्मा तक को भी रौंद डालते हैं। ये महज कुछ आंकड़े भर नहीं हैं। हर एक संख्या एक चीखते हुए मासूम चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा चेहरा जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे संवैधानिक अधिकारों को पल-प्रतिपल खो रहा होगा।

मैं ह्युमन ट्रैफिकिंग से बचाए-छुड़ाए गए ऐसे हजारों बच्चों से मिला हूं जो जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे गए थे। कुछ महीने पहले हमने बिहार से ट्रैफिकिंग कर लाए गए बच्चों को दिल्ली की एक जींस फैक्ट्री से मुक्त कराया। यह फैक्ट्री बेसमेंट में थी। ये बच्चे तीन साल तक इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकले थे। लिहाजा जब वे मुक्त होकर बाहर आए तो उनकी आंखें सूरज की रोशनी सहन करने की क्षमता खो सी चुकी थीं। ऐसे मामलों में अपराधियों पर बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और किशोर न्याय से संबंधित कानूनों में कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून के अभाव में दलालों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

पिछले कई दशकों से बाल दासता के खिलाफ अपने प्रयासों से मैंने जो सीखा है उससे महसूस करता हूं कि ये दोनों कानून इन अपराधों को मिटाने में सहायक होंगे। मैं इनका पुरजोर समर्थन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ये कानून सिर्फ ह्युमन ट्रैफिकिंग में लिप्त लोगों और दुष्कर्मियों को सजा दिलाने भर के लिए नहीं हैं, बल्कि ये न्याय के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़े हैं। नया कानून ट्रैफिकिंग को एक संगठित आर्थिक अपराध मानते हुए हर जिले में विशेष अदालत गठित कर तय समय-सीमा में सुनवाई करने और सख्त सजा का प्रावधान करता है।

अवधेश राजपूत

इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित मानव दुर्व्यापारियों की साठगांठ को तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती और अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने का प्रावधान भी है। साथ ही सीमा पर ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया जाएगा। यह कानून केवल आपराधिक दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपराध की रोकथाम और पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करता है। पीड़ितों को मुआवजे के लिए फैसला होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुकदमा दायर होते ही उन्हें तात्कालिक राहत मिलेगी और इसके बाद उनका आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए एक पुनर्वास कोष भी बनाया जाएगा। इन प्रावधानों से यह कानून बहुत प्रभावी हो जाएगा।

हमने हाल ही में किए अपने एक अध्ययन में पाया कि पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण के अब तक जितने मामले दर्ज हैं और जिस गति से इसके मुकदमों की सुनवाई हो रही है उसकी सुनवाई पूरी होने में कई राज्यों में 50 से 100 साल तक लग जाएंगे। यानी आज जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसे न्याय के लिए अपने नाती-पोतों के साथ अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा। 'क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018' में बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराध होने पर कठोर सजा और त्वरित व समयबद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें दुष्कर्मियों को फौरन सजा मिल पाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के साथ ही पुलिस की जांच और अदालती फैसले की भी समय-सीमा तय की गई है।

संसद में इन दोनों विधेयकों का पेश होना सुखद है। इन कानूनों की मांग को लेकर हम लंबे समय से सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करते रहे हैं। पिछले साल हमने ट्रैफिकिंग और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाने और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी 'भारत यात्रा' का आयोजन किया था। यह यात्रा 11 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर 23 राज्यों से गुजरी थी। हमने वर्ष 2007 में बाल दुर्व्यापार विरोधी दक्षिण एशियाई यात्रा का और 2011 में असम में एंटी ट्रैफिकिंग मार्च का आयोजन किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर हमारे संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की ही एक याचिका पर 2011 में पहली बार भारत में ट्रैफिकिंग को परिभाषित किया गया था।

ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के शिकार मासूम चेहरे उम्मीद भरी निगाहों से इस कानून की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यह कानून देश के हजारों बच्चों की सिसकियों को मुस्कराहटों में बदल सकता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से मेरी विनम्र अपील है कि वे इस विधेयक को जल्दी से जल्दी संसद में पारित कराएं ताकि एक आवश्यक कानून अस्तित्व में आए। ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। निःसंदेह न्याय को एक कानून में समाहित करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हो सकता है, इसमें कुछ खामियां हों। अगर ऐसा है तो इन खामियों को कानून के नियमों में दुरुस्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अलग से कोई और अध्यादेश या विधेयक लाया जा सकता है। बच्चों के बचपन को खुशहाल बनाने के लिए यह विधेयक एक ऐतिहासिक अवसर की तरह है। इस अवसर को गंवाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते।

(लेखक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं)

response@jagran.com

प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में करदाता

मनीष खेमका

करदाताओं की कदर इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि वे ही असली आर्थिक नेता और भारत के भाग्यविधाता हैं

मोदी सरकार के टैक्स एमनेस्टी, नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों के बाद करदाताओं का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ा आठ करोड़ रिटर्न को पार करने वाला है। वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे। नोटबंदी के बाद यह संख्या अप्रत्याशित रूप से एक करोड़ से ज्यादा बढ़ कर 6.84 करोड़ हो गई। मोदी सरकार के प्रयासों से करदाता बढ़े हैं और इसी के साथ उन्हें मिलने वाली सहूलियतें भी। हाल में कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयकर विभाग और करदाताओं के बीच विवाद को कम करने और आम करदाताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिससे 5600 करोड़ के टैक्स विवाद एक झटके में समाप्त हो गए। इस फैसले के तहत आयकर विभाग अब 20 लाख रुपये अथवा इससे अधिक के कर विवादों को ही अपीलीय न्यायाधिकरणों में ले जा सकेगा। पहले यह राशि 10 लाख रुपये थी। साथ ही हाईकोर्ट में अपील की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई। सीबीडीटी चेयरमैन ने भी सरकार की मंशा के अनुरूप आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को पत्र लिखकर करदाताओं की शिकायतों के शीघ्र निवारण की हिदायत दी। आज दुनिया में आयकर की सबसे कम प्राथमिक दर भारत में है। ढाई लाख रुपये तक सालाना आयकर से मुक्त और पांच लाख रुपये तक सिर्फ दस प्रतिशत आयकर है। करदाताओं की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्र सरकार उन्हें तकनीकी सहूलियतें देने और भ्रष्ट तंत्र के उत्पीड़न से बचाने के ईमानदार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद करदाताओं से जुड़े मूल मुद्दों का सुलझना शेष है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता करदाताओं को मतदाताओं जितना भी राजनीतिक महत्व नहीं देते। यह शायद इसलिए है, क्योंकि अपने देश में नारेबाजी की राजनीति से प्रेरित सरकारी नीतियां गरीबों को नहीं गरीबी को प्रोत्साहित करती हैं। करदाताओं के पैसों से कर्ज माफी, सब्सिडी और मुफ्त उपहार जैसे राजनीतिक प्रलोभन देकर सत्ता हासिल करना भारत में भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। कोई कुछ न करता हो तो उसके लिए दो-तीन रुपये में अनाज उपलब्ध है और शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय आदि कई सुविधाएं मुफ्त। बेराजगारी भत्ते समेत अनेक अनुदान और सब्सिडी तो हैं ही, चुनावी घोषणापत्रों से बंटने वाली रेवड़ियां भी हैं। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखता। बिना सरकारी मदद के अपनी पूंजी, मेहनत और जोखिम से कोई काम करना चाहे, करदाता बनना चाहे तो उसे हतोत्साहित करने के लिए ढेरों विभाग और कानून हैं। ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से करदाता बनकर देश को देना भला कौन करना चाहेगा? सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में करदाताओं की संख्या 30 से 70 प्रतिशत तक है, जबकि भारत में यही संख्या 5-6 प्रतिशत पर ही अटकी हुई है। नोटबंदी से पहले मोदी सरकार ने देश में टैक्स एमनेस्टी स्कीम लागू की थी। इसके तहत कहा गया था कि 45 प्रतिशत टैक्स दीजिए और अपनी कमाई को वैध बना लीजिए। करीब उसी समय इंडोनेशिया ने भी अपने यहां एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लागू की। टैक्स की दर थी मात्र दो से दस प्रतिशत। जल्दी घोषणा कीजिए तो दो प्रतिशत और देर से आइए तो दस प्रतिशत अधिकतम।

भारत में यह चर्चा का विषय रहता है कि यहां की काली कमाई लोगों ने स्विट्जरलैंड में जमा कर रखी है। ठीक इसी तरह इंडोनेशिया की जनता का मानना है कि वहां की अवैध कमाई सिंगापुर के बैंकों में जमा है। इंडोनेशिया सरकार की टैक्स एमनेस्टी स्कीम के नतीजे हैरान करने वाले रहे। यह दुनिया में सबसे सफलतम स्कीम साबित हुई। भारत में जहां सिर्फ साठ हजार करोड़ रुपये घोषित हुए वहीं इंडोनेशिया के नागरिकों ने करीब 21 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति स्वेच्छा से घोषित की। नौबत यह आई कि सिंगापुर सरकार को जमा रकम पर प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा करनी पड़ी। इंडोनेशिया में एक तरह से इतनी रकम घोषित हुई जितना भारत का सालाना केंद्रीय बजट होता है। भारत में इंडोनेशिया जैसे कदम से 50 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाए जा सकते थे, जो अंततः देश की गरीब जनता के ही काम आते। इंडोनेशिया के आम लोगों ने अपनी सरकार की एमनेस्टी स्कीम को खूब सराहा। भारत में शायद इसकी आलोचना की जाती। सरकार इतनी नरम एमनेस्टी स्कीम लाती तो विपक्ष उसे अमीरों का हितैषी करार देकर हंगामा मचाता। जो भी हो, यह एक तथ्य है कि तमाम कोशिश के बाद भी हमारी सरकारें काले धन को वापस लाने में विफल रही हैं। भारत में काले धन का हौव्वा है, लेकिन काले धन की सही परिभाषा आज तक तय नहीं की गई।

काले धन और कर अपवंचित धन में जो बड़ा फर्क है उसे हमें समझना चाहिए। रिश्वतखोरी, गबन, हथियार-ड्रग्स के अवैध कारोबार और ऐसी ही अन्य आपराधिक गतिविधियों से अर्जित रकम ही वास्तव में काला धन है। क्या सरकार टैक्स लेकर इसे वैध करार दे सकती है? इसे तो पूरा ही जब्त किया जाना चाहिए। यदि कर अपवंचित आय को काला धन माना जाए तो आज देश में ढाई लाख रुपये सालाना से ज्यादा कमाने वाला हर व्यक्ति काले धन के दायरे में आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के 70 सालों के कुशासन का जिक्र करते हैं। इस दौरान वे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताते हैं। क्या इसका भुक्तभोगी करदाता भी नहीं रहा है? अभी तक उसे अपने दिए कर के बदले मिला ही क्या है? मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्मान कुछ भी तो नहीं। महाराष्ट्र में एक जज ने एक बार खिन्न होकर अपने फैसले में लिखा कि यदि जनता को मूलभूत सुविधाएं न मिलें तो वे टैक्स देना बंद कर दें। कोई शहरी अगर 25 हजार रुपया कमाने के बाद भी आयकर देकर देश के प्रति जिम्मेदारी निभाता है तो क्या वह सम्मान के योग्य नहीं? विडंबना यह है कि नेताओं की नजर में करदाता का अर्थ अमीर व्यक्ति होता है। इसी कारण करदाताओं के सरोकार अमीर-गरीब की बहस में फंसकर दम तोड़ देते हैं। कर अपवंचना को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यदि सरकारें नक्सलियों और आतंकियों को माफ कर सकती हैं, कश्मीरी पत्थरबाजों के केस वापस ले सकती हैं तो फिर अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देने वाले करदाता क्या इनसे भी बुरे हैं? वास्तव में करदाता ही देश के असली आर्थिक नेता और भारत के भाग्यविधाता हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नहीं तो देश में 15-15 लाख मांगने वाले ही बचेंगे।

(लेखक ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के प्रमुख हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अमूल्य संपत्ति

परमात्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होता। यह अनुभव सिद्ध बात है कि निर्बलों को सर्वत्र दुखी, दरिद्र और अभावग्रस्त रहना पड़ता है। उन्हें न सांसारिक सुविधा मिलती है और न मानसिक शांति। जीवन में सर्वोपरि आनंद देने की कुंजी हैं सात्विक वृत्तियां। उनका महत्व समझिए, उन्हें तलाशें, उनका संचय करें। जिस प्रकार पैसे के बदले में खरीदे जाने वाले सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार शक्ति के बदले में विविध प्रकार के आनंद प्राप्त किए जाते हैं, जिसका शरीर शक्तिशाली है, इंद्रियां सक्षम हैं, वह ही विविध प्रकार के इंद्रिय भोगों को भोग सकता है। जिसका शरीर रोगी निर्बल और अशक्त है, उसको उत्तम से उत्तम इंद्रिय भोग भी बुरे लगते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, संगठन की क्षमता, अनुभव और पुरुषार्थ शक्तियों के भंडार हैं। जिसके पास ये भंडार जितनी अधिक मात्रा में हैं, वह उतनी ही अधिक संपत्ति, वैभव, समृद्धि और ऐश्वर्य सुख सामग्री प्राप्त कर सकता है। जिसके पास इन शक्तियों की जितनी कमी है, वह उतनी ही मात्रा में अभावग्रस्त और कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करेगा।

शरीर को सुख देने वाले ऐश्वर्य शरीर से संबंध रखते हैं। जिसने जितनी अधिक भौतिक योग्यताएं एकत्र कर ली हैं, वह उतना ही अधिक सांसारिक सुख भोग सकता है, पर ध्यान रहे कि वह आत्मिक सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता। आत्मिक सुख के लिए आत्मिक शक्तियों की आवश्यकता है। सद्गुण, सात्विक दृष्टिकोण, सत्य-निष्ठ होना, संयम, उदार और नम्र व्यवहार रूपी ये दैवीय शक्तियां जिनके पास हैं, उन्हें सर्वत्र मानसिक सुख व शांति उपलब्ध होगी। सांसारिक कठिनाइयां उन्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। हमारे जीवन में धन उतना ही आवश्यक है, जितने से शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व सहूलियत से पूरे होते रहें। इससे अधिक धन उपार्जन और जोड़ने की तृष्णा सुखदायक नहीं, बल्कि अनेक कलह, क्लेश, पाप और तापों को देने वाली होती हैं। शिक्षा, शिल्प, संगीत, रसायन शास्त्र आदि विषयों से संबंधित योग्यताएं सोने भरी एक तिजोरी से अधिक मूल्यवान हैं। जिसने गुणों की उपेक्षा करके धन कमाने का ही कार्यक्रम बनाया हुआ है, वह आत्मिक दृष्टि से मूर्ख ठहराया जाएगा। धन से योग्यताओं का मूल्य अधिक है।

बरजोर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

कानूनी उपाय से गंगा को बचाएं

गंगा को बचाने के गलत उपाय शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजेंद्र सिंह ने गंदगी की मार से बीमार गंगा का उचित उपचार न होने का उल्लेख किया है। देश में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, भौगोलिक व आर्थिक महत्व रखने वाली गंगा आज जिस पीड़ा से पीड़ित है बरसों पहले उस पीड़ा को दूर करने को अपना सौभाग्य बताने वाले भी गंगा को इस पीड़ा के प्रकोप से नहीं बचा पा रहे हैं। यही कारण है जो देश की सबसे लंबी विशिष्ट जल वाली नदी को विकट संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही गंगा के इस मर्म को मिटाने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की। जिसके लिए करोड़ों की धनराशि का प्रावधान भी किया गया, लेकिन कोई प्रभावी रणनीति न होने के कारण आज भी गंगा के पेट में गाद जमा होती जा रही है। स्थिति यही बता रही है कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक लहराती हुई बहने वाली गंगा वर्तमान सरकार से कोई ठोस रणनीति बनाने की गुहार लगा रही है। जिससे वेद, पुराणों में वर्णित गंगा की शुद्धता और पवित्रता को सदैव वास्तविक रूप में बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय नदी गंगा को 2019-20 तक अविरल-निर्मल बनाने के लिए मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का भी प्रावधान बजट में किया है, लेकिन इतने भारी-भरकम बजट के बावजूद भी गंगा की गंदगी साफ न होने का दृश्य धन की बड़ी बर्बादी का ही संकेत दे रहा है। सरकार की गंगा को अविरल-निर्मल बनाने की तत्परता में कमी आने और परियोजना के पैसों को अधिकारियों द्वारा डकार जाने के साथ ही कोई वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल अभी तक ना कर पाने के कारण ही जीवनदायिनी गंगा गंदगी मुक्त नहीं हो पा रही है। औद्योगिक इकाइयों के दूषित जल, शहर के सीवर के गंदे जल को रोकने और गंगा की शुद्धता और पवित्रता को सदैव बनाए रखने के लिए सरकार को कानूनी उपाय करने चाहिए, क्योंकि कानून की मार ही मां समान गंगा पर बढ़ते इंसानी अत्याचार को कम कर सकती है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

गच्चा खा गए राहुल

केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केंद्र सरकार को गिराना था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस प्रस्ताव की आड़ में तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को अपने नेता राहुल गांधी को गठबंधन दलों का नेता स्थापित करने की रणनीति के तहत ये दाव खेला गया। कांग्रेस जानती थी कि लोकसभा का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी केंद्र सरकार पर प्रहार करके सुर्खियां बटोरने वाले एकमात्र गठबंधन दलों के नेता होंगे, इसीलिए उन्हें आक्रामक भाषण की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। लेकिन राहुल गांधी यहां गच्चा खा गए।

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली

अविश्वास प्रस्ताव

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस सरकार की नीतियों की नाकामियों का ही परिणाम है। टीडीपी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य को गैर वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया जिससे राज्य के आय के संसाधन नष्ट हो गए और राज्य पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ा। लेकिन जिस समय आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया गया था उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और चुनाव आने वाले थे, इसलिए कांग्रेस ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधते हुए इस राज्य का बंटवारा किया था, जो अब वहां के लोगों के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

मां कभी गरीब नहीं होती

भारत में वर्ष में दो बार नवरात्र पर्व मनाया जाता है और इन नौ दिनों में मां की ही पूजा आराधना होती है। चैत्र नवरात्र के बाद रामनवमी और द्वितीय नवरात्र के उपरांत दशहरा मनाया जाता है। संतान को संस्कार देने वाली भी मां ही होती है और मनुष्य को सारे सुख-वैभव भी मातारानी की ही कृपा से मिलते हैं। भगवान शंकर के भी सब कार्य मां शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं और भगवान् राम -कृष्ण की भी शक्ति जीव का पोषण करती है । हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान देने वाली भी माता सीता ही थीं और प्रकृति को मां ही कहा जाता है और धरती भी मां ही होती है। बृजमण्डल में तो किशोरी राधारानी ही सब कुछ हैं। जगद्गुरु वल्लभाचार्य तो यमुनाजी की पूजा करते थे । दीपावली पर भी लक्ष्मी की ही पूजा बिना नारायण संपन्न होती है, यानि सब कुछ देने वाली तो केवल मां ही है तो फिर देने वाला गरीब कैसे? परिवार गरीब हो सकता है, पिता की कमाई कम हो सकती है। सुख-साधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन मां कभी गरीब नहीं हो सकती।

drmanojdublish@gmail.com

कारवां गुजर गया...

गीतों को चुप करके, गजलों को तन्हा करके और हम सब को खामोश कर कविवर गोपालदास नीरज जी यह दुनिया छोड़कर चले गए। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत सरकार ने शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दो-दो बार सम्मानित किया था। नीरज जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों के गीत लिखे थे पूरा हिंदुस्तान उनके गीत लिखे जो खत तुझे, कहता है जोकर जमाना, ए भाई जरा देख के चलो, जैसे गीतों को सुनकर झूम उठता था और गुनगुनाता था। नीरज जी के द्वारा लिखे हुए कई साल पहले यह गीत आज भी लोगों के जुबां पर हैं। उन्होंने ना सिर्फ देश की बल्कि विदेशों में भी हिंदी कविता को फैलाया और अपने लाखों श्रोताओं को अपनी विशिष्ट कविता शैली से मंत्रमुग्ध किया।

devanandvz}8@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

किसी भी सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। यहां तक कि इसके समर्थन में अतीत के मामलों की दुहाई भी नहीं दी जा सकती। इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि निशाना बनाए जाने वाले अपराधी हैं। जो काम अदालतों का है उसे भीड़ कैसे कर सकती है। हिंसक भीड़ मानवता के लिए शर्म और समाज पर कलंक है।

सृजन :कलाम वे@srijanpalsingh

भाजपा नेतृत्व या तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्दे